राजस्व आदेश अनुवृत्ति – पत्र

ई–कोर्ट नं.– 202412080800001/अ–62 वर्ष 2024–25

गैंदलाल केशरी वि0 छ.ग.शासन

07.04.2025

– प्रकरण प्रस्तुत।

– प्रकरण अवलोकन हेतु नियत रहा ।

– प्रकरण का अवलोकन किया।

– तहसीलदार पिपरिया से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदक गैंदलाल केशरी पिता रामरतन केशरी निवासी पिपरिया तहसील पिपरिया, जिला कबीरधाम छ.ग. ने अपने स्वामित्व की ग्राम गोरखपुर प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. पिपरिया तहसील पिपरिया, जिला–कबीरधाम स्थित भूमि खसरा नंबर 28/2 रकबा 2.893 हेक्टे. स्थित भूमि पर कुल 22 नग सागौन प्रजाति के वृक्ष को काटे जाने की अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

– राजस्व निरीक्षक व परिक्षेत्र सहायक वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्ररूप–घ (नियम 7 (1) देखिये) निरीक्षण प्रतिवेदन में साक्षी के रूप में हस्ताक्षर लिया गया है। छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 धारा 240 में जानकारी प्रकरण में संलग्न है। दिनांक 02.01.2025 को ग्राम गोरखपुर प0ह0नं0 10 रा0नि0मं0 पिपरिया तहसील पिपरिया स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि ख0नं0 28/2 रकबा 2.893 हे0 भूमि में स्थित सागौन वृक्ष को आवेदक गैंदलाल केशरी पिता रामरतन केशरी (भूमिस्वामी) काटने के संबंध में अनुमति आवेदन पर वन परिक्षेत्र सहायक वन विभाग कवर्धा, हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार, आवेदक एवं अन्य ग्रामवासियों उपस्थिति में मौका स्थल निरीक्षण किया गया। आवेदक की भूमि ख0नं0 28/2 रकबा 2.893 हे. में 22 नग सागौन में से 21 वृक्ष हरा और परिपक्व पाया गया तथा 01 वृक्ष अपरिपक्व और सूखा है। जिसमें सागौन के सभी वृक्षों में नम्बरिंग किया गया, और सूची तैयार किया गया। आवेदित सागौन वृक्षों में से 22 नग परिपक्व पाया गया है। निरीक्षण किये गये भूमि ख0नं0 28/2 रकबा 2.893 हे. भूमि पर पाये गयें वृक्षों का विवरण जिसे काटने हेतु अनुमति चाही गई है:–

क्रमांक	प्रजाति	वृक्ष की छाती गोलाई (से.मी.) में	वृक्ष की अनुमानित ऊँचाई डेसी मीटर में	वृक्ष की हालत	परिपक्व/अपरिपक्व	अन्य विवरण
1	सागौन	95	10	हरा	परिपक्व	
2	सागौन	110	11	हरा	परिपक्व	
3	सागौन	120	10	हरा	परिपक्व	
4	सागौन	80	6	सूखा	अपरिपक्व	काटने योग्य
5	सागौन	120	10	हरा	परिपक्व	
6	सागौन	110	12	हरा	परिपक्व	
7	सागौन	95	10	हरा	परिपक्व	
8	सागौन	100	10	हरा	परिपक्व	
9	सागौन	100	12	हरा	परिपक्व	
10	सागौन	90	6	हरा	परिपक्व	
11	सागौन	100	10	हरा	परिपक्व	

12	सागौन	90	8	हरा	परिपक्व	
13	सागौन	100	9	हरा	परिपक्व	
14	सागौन	90	9	हरा	परिपक्व	
15	सागौन	100	12	हरा	परिपक्व	
16	सागौन	92	7	हरा	परिपक्व	
17	सागौन	104	11	हरा	परिपक्व	
18	सागौन	110	12	हरा	परिपक्व	
19	सागौन	112	13	हरा	परिपक्व	
20	सागौन	100	8	हरा	परिपक्व	
21	सागौन	90	7	हरा	परिपक्व	
22	सागौन	110	10	हरा	परिपक्व	

– प्रकरण में तहसीलदार पिपरिया द्वारा आवेदक का साक्ष्य लिया गया है। जो प्रकरण में संलग्न है।

– प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि आवेदक गेंदलाल केशरी पिता रामरतन केशरी निवासी पिपरिया ने ग्राम गोरखपुर प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. पिपरिया स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 28/2 रकबा 2.893 हे. भूमि में से 22 नग सागौन वृक्षों की कटाई की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक वन विभाग से जानकारी लिया गया जो प्रकरण में सलग्न है। छ.ग. राजपत्र एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 24.11.2022 में उल्लेखित नियम 3 कि कंडिका 3 में प्रावधानित है कि एक कैलेण्डर वर्ष में एक खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम 10 वृक्षों की कटाई की अनुशंसा की गई है। जिसके आधार पर सरल क्र. 02, 03, 05, 06, 09, 11, 17, 18, 19, 22 में दी गई जानकारी अनुसार कुल 10 नग सागौन वृक्षों को काटने की अनुमति दिये जानेः प्रकरण मय प्रतिवेदन प्राप्त हुए है।

– प्रकरण में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज एवं तहसीलदार पिपरिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छ.ग. राजपत्र एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 24.11.2022 अनुसार आवेदक गेंदलाल केशरी पिता रामरतन केशरी, निवासी पिपरिया, तहसील पिपरिया जिला कबीरधाम को उनके स्वामित्व ग्राम गोरखपुर प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. पिपरिया तहसील पिपरिया स्थित भूमि ख0नं0 28/2 रकबा 2.893 हे0 कृषि भूमि में रोपित परिपक्व (सरल क्र. 02, 03, 05, 06, 09, 11, 17, 18, 19, 22) ,10 नग सागौन वृक्ष को काटे जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है। निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र "प्ररूप ग" पृथक से संलग्न है।

– निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र "प्ररूप ग" की प्रति सर्वसंबंधित को भेजा जावे।

– प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा. द. हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कवर्धा

प्ररूप—ग

[नियम 3 (2) देखिये]

अनुज्ञा

प्रति,

गेंदलाल केशरी पिता **रामरतन केशरी,** वर्ग – **सामान्य**
ग्राम – **पिपरिया** , तहसील – **पिपरिया,** थाना – **पिपरिया,** जिला – **कबीरधाम छ.ग.**

विषयः— प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक **02.02.2025** को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक **05.12.2024** को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक **02.01.2025** को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैः— **10 नग सागौन वृक्ष परिपक्व होने के कारण कटाई किये जाने के योग्य है। विवरण निम्नानुसार हैः—**

वृक्ष की प्रजाति	**जांच सूची में क्र.**	**वृक्ष की संख्या**	**छाती गोलाई से.मी. में**	**ऊंचाई अनुमानित मीटर में**	**रिमार्क**
सागौन	02	01 नग	110 से.मी.	11 मीटर	हरा परिपक्व
	03	01 नग	120 से.मी.	10 मीटर	हरा परिपक्व
	05	01 नग	120 से.मी.	10 मीटर	हरा परिपक्व
	06	01 नग	110 से.मी.	12 मीटर	हरा परिपक्व
	09	01 नग	100 से.मी.	12 मीटर	हरा परिपक्व
	11	01 नग	100 से.मी.	10 मीटर	हरा परिपक्व
	17	01 नग	104 से.मी.	11 मीटर	हरा परिपक्व
	18	01 नग	110 से.मी.	12 मीटर	हरा परिपक्व
	19	01 नग	112 से.मी.	13 मीटर	हरा परिपक्व
	22	01 नग	110 से.मी.	10 मीटर	हरा परिपक्व

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर **28/2 रकबा 2.893 हेक्टे.** ग्राम **गोरखपुर,** प.ह.न **10,** तहसील **पिपरिया** स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति **सागौन** एवं संख्या **10** है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधो का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती हैं।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

दिनांकः— 07.04.2025

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कवर्धा, जि.-कबीरधाम (छ.ग.) सत्यमेव जयते

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कवर्धा
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्र / 844 / अ.वि.अ. / रीडर–1 / 2025 कवर्धा, दिनांक :– 09/04/2025

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर महोदय, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कवर्धा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. तहसीलदार पिपरिया को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अघतन करने हेतु।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कवर्धा, जि.-कबीरधाम (छ.ग.) सत्यमेव जयते

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)